न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या 2025/017
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. भागीरथ पुत्र श्री जगमाल राम अकवाम जाट उम्र 67 वर्ष निवासी 2 एल. एल. घालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सन्दीप श्री जगमाल राम अकवाम जाट उम्र 50 वर्ष निवासी 2 एल. एल. घालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. राजेश पुत्र श्री जगमाल राम अकवाम जाट उम्र 48 वर्ष निवासी 2 एल. एल. घालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकरण पुत्र श्री जगमालराम जाति जाट निवासी अशोक नगर–बी, मीरा- विहार, श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

—अप्रार्थीगण

उपस्थित– श्री मनोहरलाल सहारण (प्रार्थीगण)
श्री रामगोपाल स्वामी (अप्रार्थी 01)

दिनांकः– 30 जून, 2025

–निर्णय–

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली में बहस प्रार्थना पत्र धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किए कि– तहसील श्रीगंगानगर के चक 5 एच. एच. के खाता संख्या 37/100 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 13 के किला नं. 1 ता 25 में 6.3250 हैक्टयर नहरी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण प्रत्येक के नाम 0.3952 हैक्टयर रकबा दर्ज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 01 स्व. जगमालराम के वारिस है। जगमालराम पुत्र श्री दुलाराम का दिनांक 01.01.2003 को स्वर्गवास हो चुका है तथा उनके स्वर्गवास के उपरान्त रस्म–पगड़ी के वक्त स्व. जगमालराम की चारों पुत्रीयों ने अपना हक व हिस्सा अपने चारों भाईयों के पक्ष में मौखिक रूप से हलत्याग दिया था तब से लेकर आज तक प्रार्थीगण 01 ता 03 अप्रार्थी सं. 01 चारों बहिस्सा बराबर काश्त करते आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 01 ने इस तथ्य को जानते हुए कि अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने अपने हक व हिस्सा का त्याग मौखिक रूप से चारों भाईयों के पक्ष में पूर्व ने किया हुआ है जगमालरान के चारों पुत्र प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्सा अर्थात् 0.7906 हैक्टयर का उपयोग, उपभोग कर रहे है, चारो बहिनों ने कोई भी हिस्सा प्राप्त नही किया है लेकिन फिर भी अप्रार्थी सं. 01 द्वारा लालच के वशीभूत होकर दोनों ब[illegible]माया को मुगालता में रखकर दिनांक 03.02.202 को उपपंजीयक से पंजीबद्ध दस्तब[illegible]री अपने अकेले के हक में करवा ली, दोनों बहिनों को पैतृक सम्पत्ति में अपना 2/78 [illegible] का त्याग–पत्र रामकरण अकेले के पक्ष में करने का उन्हें कोई विधिक अधिकार नही था और ना ही उसे वैध करार दिया जा सकता है। कानूनन सहकाश्तकार दस्तबरदारी के आधार पर अपना हक [illegible] विशिष्ट एवं एक सहकाश्तकार के पक्ष में नही छोड़ सकता बल्कि सभी सहकाश्तकारों के पक्ष में छोड़ सकता है उसके द्वारा किसी एक के पक्ष में किया हकत्याग सभी सहहिस्सेदारो के पक्ष में समान रूप से जावेगा यदि दस्तबरदारी के आधार पर कोई इंतकाल हुआ है तो कानूनी प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। हकत्याग तक दस्तावेज सही है लेकिन इसके आधार पर जो इंतकाल सं. 930 दिनांक 26.02.2025 को किया गया है वह शून्य है। उक्त इंतकाल से अप्रार्थी सं. 01 को अपने हक व हिस्सा से ज्यादा के हक व अधिकार प्राप्त नही होते है और ना ही स्वर्गीय जगमाल राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:24:57 IST
Reason: SelfAttested

के रकबा में 1/4 हिस्सा से ज्यादा रकबा अप्रार्थी सं. 01 का हक व अधिकार बनता है। प्रार्थीगण को हकत्याग के आधार पर बहिस्सा बराबर के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। प्रार्थीगण को इस बात का ईल्म होने पर कि अप्रार्थी सं. 01 द्वारा अप्रार्थी सं. 02 व 03 से अपने हक में दस्तबरदारी उपपंजीयक से पंजीबद्ध करवाकर इस दस्तावेज का इंतकाल अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया है जो कानून विरूद्ध है, अप्रार्थी संख्या 01 के नाम जो रकबा ज्यादा दर्ज हो गया है उक्त रकबा को, उसको वापिस तीनों भाईयों के हक में बराबर–बराबर दर्ज करने का कई बार कहा लेकिन वह दिनांक 02.04. 2025 को स्पष्ट इंकार हो गया और कहने लगा कि मैंने तो जानबूझकर तुम्हारा हक व हिस्सा के रकबा को हड़प करने की नियत से दोनों बहिनों को मुगालता में रखकर अपने पक्ष में यह दस्तबरदारी करवाली है तथा इसका इंतकाल भी मेरे पक्ष में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया है तथा जल्दी ही मैं उक्त रकबा जो मेरे नाम ज्यादा दर्ज हो गया है उस पर जरायम पेशा लोगों की मदद से तुम्हे बेदखल कर कब्जा करूंगा अगर यह संभव नही हुआ तो भूमि में शोरा वगैरा डालकर उसकी उपजाऊ शक्ति नष्ट कर दूंगा तुम्हे जो करना है सो करो, बस यही बिनाय प्रार्थना पत्र है जो प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खिलाफ हासिल हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है अगर दौराने दावा अप्रार्थी द्वारा उक्त दस्तबरदारी द्वारा प्राप्त रकबा को रहन, बैय या दिगर तरीके से मुंतकिल कर दिया तो अथवा जरायम पेशा लोगों की मदद से जबरन हमारे हक व हिस्सा के रकबा पर कब्जा कर लिया अथवा शोरा नमक डालकर भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट कर दी तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी पूर्ति किसी प्रकार के हर्जाना से नही हो सकेगी। प्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा के रकबा महरूम हो जावेगें व आईन्दा मुकदमे बाजी बढ़ेगी। प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो अन्दर अवधि में समुचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह चक 5 एचएच के खाता संख्या 37/100 के मुरब्बा नं. 13 में 1.1857 हैक्टयर रकबा जो उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को रहन, बैय व दिगर तरीके से मुंतकिल करने व कब्जा स्वयं अथवा जरायम पेशा लोगों की मदद से करने से निषेध रहें। अन्य कोई आज्ञा जो न्यायसंगत व हम प्रार्थीगण के पक्ष में हो प्रदान की जावे।

अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि उपरोक्त वर्णित भूमि को रहन, बैय, अन्य तरिके से हस्तान्तरण न करें तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत AIR 2003 ANDHRA PRADESH 498, 2014(1) RRT 509 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER, Citation : 2021(2) DNJ (Rev.) 1373 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER, Citation : 2022(1) DNJ (Rev.) 534 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER प्रस्तुत किये।

अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि तहसील श्रीगंगानगर के चक 5 एच एच खाता संख्या 37/100 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 13 के किला नं. 1 ता 25 कुल 6.3250 हैक्टेयर नहरी रकबा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम [illegible] अस्वीकार है। दुलाराम के वारिसान जगमाल, नत्थूराम है। जगमाल के वा[illegible]रिथ, कृष्णा, सरोज, माया, राजेश व नत्थूराम के वारिसान चुना देवी [illegible] है। प्रार्थीगण 01 ता 05 स्वर्गीय जगमाल के वारिसान है। प्रार्थीगण [illegible] 05 स्वर्गीय जगमाल के वारिसान होना स्वीकार है। जगमाल की मृत्यु दिनांक 01.01.2003 को स्वर्गवास होना जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। जगमाल की मृत्यु के पश्चात् रस्म पगड़ी के वक्त चारों पुत्रीयों ने अपना हक व हिस्सा अपने चारो भाईयों के हक में मौखिक रूप से हक त्याग नही किया था। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 चारों बहिस्सा बरावर–बरावर करना अस्वीकार है। क्योंकि माया व सरोज ने अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 01 के हक में दस्तरदारी के द्वारा माया व सरोज ने अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 01 के हक में छोड़ दिया। उनका हिस्सा रामकरण के नाम दर्ज हो गया है। दस्तवरदारी को निरस्त करवाने के लिये कोई दावा पेश नही किया गया। इस प्रकार रामकरण के हक में दस्तवरदारी कानूनी रूप से सही है। माया व सरोज को अपने हिस्सा की आराजी का हक लाना,

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:24:57 IST
Reason: SelfAttested

रामकरण के हक करने का अधिकार प्राप्त था। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 06 में दर्ज तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थीगण के हक में दर्ज तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थीगण के हक में माया व सरोज द्वारा हक त्याग नही किया गया। इस प्रकार प्रार्थीगण 1/4 हिस्सा के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 में दर्ज कथन अस्वीकार है। प्रार्थीगण दिनांक 02.04.2025 को अप्रार्थी संख्या 01 रामकरण के नाम दर्ज हो गया था वह रकबा तीनो भाईयों के नाम दर्ज करवाने का नही कहा में कथन प्रार्थना पत्र का अधिकार करवाने के लिए गलत रूप से दर्ज किये गये है। शेष कथन अस्वीकार है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नही आता है। इसलिए प्रार्थीगण न्यायालय मैं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट में कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट मय शपथ पत्र प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नय खर्चा खारिज फरमाया जाये।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतू हमें विधि द्वारा सुस्थापित बिन्दुओ, प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति पर विचारण करना होगा।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं प्रार्थी/वादी द्वारा कृषि भूमि के कब्जा से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये जिससे कि प्रार्थी के प्रश्नगत आराजी पर हक व अधिकार साबित हो। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 03.02.2025 एक पंजीकृत दस्तावेज है जिसको किसी भी सक्षम न्यायालय से शून्य घोषित करवाने संबधि कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थी द्वारा पत्रावली में पेश नही किये गये है। न्यायालय के मतानुसार अभिलिखित खातेदार को अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं को स्वयं के पक्ष में साबित करवाने में असफल रहें है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आटीए स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

–: आदेश :–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर पत्रावली में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष में साबित नहीं कर पाने के कारण प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 2025/017 अनवानी भागीरथ व अन्य बनाम रामकरण व अन्य खारिज किया जाता है। मूल वाद के निस्तारण तक मिसल पत्रावली संख्या 2025/017 मूल वाद संख्या 2025/030 के साथ नत्थी रहे। निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:24:57 IST
Reason: SelfAttested

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर